



# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)  
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554  
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



## National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3<sup>rd</sup> Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554  
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

भा.रा.रा.प्रा./क्षे.का.-नागपुर/ Chh. Sam./UT-557/NH-52/OFC/2025-26/ 2959 Date: 22.12.2025

### Invitation of Public Comments

**विषय:** Four laning of Aurangabad-Karodi project section of NH-52 under EPC Mode in the State of Maharashtra -Proposal for grant permission for 3 nos of crossings of 400mm dia pipeline at Ch. 299.530, Ch. 302.556 & Ch. 302.957 by push-through method - Reg.

**संदर्भ:**

1. The PD, PIU - Chh. Sambhajinagar's Office letter No. 2491, dated 10.12.2025.
2. EE, Drainage Project, Chh. Sambhajinagar Municipal Corporation letter no. 376 dated 07.10.2025.

This is to inform all concerned that vide their letter under Ref.2, that the Chh. Sambhajinagar Mahanagar Palika has submitted a proposal for the subjected work. Subsequently, the NHAI, PD, PIU- Chh. Sambhajinagar's has recommended the above proposal vide his letter under Ref. 1 for approval of the Competent Authority / Highway Administrator.

- 1) The alignment / location for laying of the proposed Sewer Pipeline Chh. Sambhajinagar Mahanagar Palika in the subject mentioned section is as follows:
  - 03 nos of Crossing at Ch. 299.530, Ch. 302.556 & Ch. 302.957.
- 2) As per Para-4 of Ministry's Circular No. RW/NH-33044/29/2015/S&R(R), dated 22.11.2016, the Highway Administration shall put out a NOTICE in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest etc.).

In view of the above, the comments / objections of affected public are hereby invited with reference to the Ministry's circular dated 22.11.2016. The objections / comments may be addressed to the below mentioned address within 30 days from the issuance of this Public Notice. Any comments received of the expiry of the above period / beyond the due date, will NOT be accepted. Please note.

The Regional Officer,  
Regional Office - Nagpur  
NNHA, "Narang Towers", 1<sup>st</sup> Floor,  
Opp.to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City),  
Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001, Maharashtra.  
Tel: 0712-2520091; Email: [ronagpur@nhai.org](mailto:ronagpur@nhai.org)

(A.S. Pimple)  
General Manager (Tech.)

**Copy to:**

1. Web Admn., NHAI, HQ, New Delhi - for uploading in NHAI's website [web-admin@nhai.org]
2. Director, NIC, New Delhi - for uploading in Ministry's website [mansoor@nic.in]



# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)  
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554  
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



## National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3<sup>rd</sup> Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554  
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

भा . रा . रा . प्रा . / क्षेत्र . का . - नागपुर / छ. सम. /UT- 557 /NH-52/OFC/2025-26 / 2959

दिनांक: 22.12.2025

### सार्वजनिक टिप्पणियों का निमंत्रण

विषय : महाराष्ट्र राज्य में ईपीसी मोड के तहत एनएच-52 के औरंगाबाद-करोडी परियोजना खंड का चार लेन का निर्माण - Ch. 299.530, Ch. 302.556 और Ch. 302.957 पर 400 मिमी व्यास वाली पाइपलाइन की 3 क्रॉसिंग के लिए पुश-थ्रू विधि द्वारा अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव - रेग।

#### संदर्भ :

1. पीडी, पीआईयू - छ. संभाजीनगर कार्यालय पत्र क्रमांक 2491, दिनांक 10.12.2025।
2. ईई, ड्रेनेज प्रोजेक्ट, छ. संभाजीनगर महानगरपालिका पत्र क्रमांक 376 दिनांक 07.10.2025।

सभी संबंधित लोगों को यह बताया जाता है कि रेफरेंस 2 के तहत अपने लेटर के ज़रिए, छ. संभाजीनगर महानगर पालिका ने इस काम के लिए एक प्रपोज़ल दिया है। इसके बाद, NHA, PD, PIU- छ. संभाजीनगर ने रेफरेंस 1 के तहत अपने लेटर के ज़रिए ऊपर दिए गए प्रपोज़ल को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी / हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर की मंजूरी के लिए रिकमेंड किया है।

- 1) बताए गए सेक्शन में प्रस्तावित सीवर पाइपलाइन छ. संभाजीनगर महानगर पालिका बिछाने के लिए अलाइनमेंट / लोकेशन इस तरह है:
  - Ch. 299.530, Ch. 302.556 और Ch. 302.957 पर क्रॉसिंग की 03 संख्या।
- 2) मंत्रालय के सर्कुलर नंबर RW/NH-33044/29/2015/S&R(R), तारीख 22.11.2016 के पैरा-4 के मुताबिक, हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन दावे और आपत्तियां (पब्लिक की परेशानी, सुरक्षा और आम पब्लिक के हित वगैरह के आधार पर) मांगने के लिए 30 दिनों के लिए पब्लिक डोमेन में एक नोटिस जारी करेगा।

ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, मिनिस्ट्री के 22.11.2016 के सर्कुलर के हिसाब से, प्रभावित लोगों के कमेंट्स/ऑब्जेक्शन मंगाए जाते हैं। ऑब्जेक्शन/कमेंट्स इस पब्लिक नोटिस के जारी होने के 30 दिनों के अंदर नीचे दिए गए पते पर भेजे जा सकते हैं। ऊपर बताई गई समय-सीमा खत्म होने के बाद/तय तारीख के बाद मिलने वाले किसी भी कमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कृपया ध्यान दें।

क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर

एनएनएचए, "नारंग टावर", पहली मंजिल,

पुलिस उप आयुक्त यातायात कार्यालय के सामने (नागपुर शहर),

पाम रोड, सिविल लाईन्स, नागपुर- 440 001, महाराष्ट्र।

टेली: 0712-2520091; ईमेल: ronagpur@nhai.org

(ए. एस. पिम्पले)

महाप्रबंधक (तकनीकी)

#### में कॉपी:

1. वेब एडमिनिस्ट्रेशन, NHA, हेडक्वार्टर, नई दिल्ली - NHA की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए [web-admin@nhai.org]
2. डायरेक्टर, NIC, नई दिल्ली - मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए [mansoor@nic.in]